न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के.सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3118.–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.08.2014 पारित द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 3/2013–14 पुनरीक्षण

श्रीमती रागिनी जैन पत्नी राजेश जैन

निवासी–विद्यया सागर वार्ड पनागर

जिला–जबलपुर (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश, शासन द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर

2– रज्जन प्रसाद दीक्षित ..... अनावेदकगण

श्री प्रियाशु जैन, अभिभाषक, आवेदक

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव शास. अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1

श्री संतोष शर्मा अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 2

आदेश

(आज दिनांक 05-08-2015 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/2013–14 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कसही हल्का तिंदनी रा.नि.म. महाराजपुर तहसील पनागर कि भूमि खसरा नं. 294, 295, 287 (पुराने खसरा नं. 342, 327, 328) शासकीय भूमि मद घास के रूप में दर्ज थे। ग्राम कसही की नामान्तरण पंजी वर्ष 1976–77 से 84–85 तक के क्रमांक 161 पर न्यायालय श्री एस.बी.मेश्राम नायब तहसीलदार के रा.प्र.क्र. 46/अ–19/84–85 एवं रा.प्र.क्र. 47/अ–19/84–85 का हवाला देते हुये प्रश्नाधीन भूमियॉ रामू बल्द सूरज के नाम खसरा नं. 342 मे से 2.00 है0 एवं तुलसाबाई बल्द हल्कू सिंह को खसरा नं. 327.328 में से क्रमशः 1.00 एवं 0.70 है0 कुल रकवा 1.70 है0 का पट्टा जारी किये जाने की प्रवृष्टि की गयी थी। तहसीलदार पनागर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। कि न्यायालय की राजस्व प्रकरण पंजी क्रमांक 84–85 में प्रकरण क्रमांक 46/अ–19/84–85 एवं रा. प्र.क्र. 47/अ–19/84–85 दर्ज ही नहीं है। साथ ही उक्त व्यक्तियों को भूमि स्वामी हक में पट्टा दिये जाने का कोई विवरण भी दर्ज ही नहीं है। पूर्व मे उक्त तथ्य प्रकाश में आने पर राजस्व अधिकारियों के जॉच प्रतिवेदनों के आधार पर न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के रा.प्र.क्र. 185/बी–121/1993–94 में न्यायालय नायब तहसीलदार उक्त कण्डिका 2 में उल्लेखित प्रकरणों को पुर्नविलोकन में लेने के अनुमति दी जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर को भेजे जाने का उल्लेख न्यायालय कलेक्टर जबलपुर की दायरा पंजी वर्ष 93–94 में अंकित है। तदोपरांत वर्तमान में प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से यह भी ज्ञात होता है कि तत्समय उक्त विषय से संबंधित प्रकरण को न्यायालय कलेक्टर जबलपुर में मध्य प्रदश भू–राजस्व संहिता सन् 1969 की धारा 50 के तहत् स्वमेव निगरानी में लिया जाकर हितवद्व/प्रभावित पक्षकारों को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.11.1994 को जारी किया गया था। किन्तु उक्त प्रकरण की वर्तमान स्थिति और भूमि के संबंध मे अंतिम आदेश की कोई टीप न्यायालीन पंजी में दर्ज होना नहीं पाया गया। कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण में शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश दिनांक 01.08.2014 से यह माना कि खसरा नं. 294, 295, 287 पूर्व में शासकीय मद में दर्ज थी। जिसका किसी भी व्यक्ति विशेष को शासन से विधि प्राप्त होना प्रमाणित नहीं होता है। फलस्वरूप हितवद्व पक्षकारों द्वारा क्रय की गयी भूमियों पर विक्रेताओं को

2

विधिनुकूल भूमि स्वामी हक प्राप्त नहीं होने के कारण किया गया अंतरण भी वैध नहीं माना जा सकता है अतः प्रश्नाधीन भूमि के वर्तमान खसरा क्रमांक 287/1, 287/3, 295/1, 295/3 के राजस्व अभिलेख में भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम पर दर्ज की जाकर संहिता की धाराओं के तहत् तहसीलदार पनागर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाये। कलेक्टर जबलपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह वर्तमान निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है। जबकि आवेदिका खसरा नं. 295/1 एवं 295/3 की भूमि स्वामी है कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण को दो बार स्वमेव निगरानी में लिया है खसरा नं.292, 291/1, 292/2 पुराना 372/2 रकवा 1.00 है0 एवं खसरा नं. 295 पुराना 328/2 रकवा 0.70 है0 कुल रकवा 1.70 है0 के भूमि स्वामी श्रीमती तुलसा बाई बल्द हल्कू सिंह के नाम दर्ज थी। कलेक्टर जबलपुर द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें बताया कि मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत् प्रकरण स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर दर्ज किया गया है। सूचना पत्र के जबाव में यह बताया गया था कि सूचना पत्र के साथ आदेश के संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। और न ही किसी प्रोसीडिंग के संबंध में कोई जानकारी दी है इसलिये कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाये। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.04.1985 द्वारा शासकीय भूमि मद घास की राजू बल्द सूरज को पट्टे पर दी गयी थी। और उसका नाम भूमि स्वामी हक में पट्टे के अनुसार दर्ज किया गया था। उक्त आवंटन के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण नही किया गया है अतः उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है ऐसी स्थिति में अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया है कि अधिक समय बाद प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नही लिया जा सकता है। इस संबंध में 2010 आर.एन. 409 पूर्ण न्यायपीठ उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है इस प्रकार कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण को

स्वमेव पुनरीक्षण में पंजीबद्ध कर जो आदेश पारित किया है वह विधि एवं प्रक्रिया के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त किया जाये। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने एवं कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

4– अनावेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो कार्यवाही कर आदेश पारित किया है वह विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– प्रकरण में मेरे द्वारा अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। उक्त प्रकरण में कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिसके संबंध में भूमि स्वामियों को सुनवाई का विधि अनुसार अवसर नहीं दिया गया है, जबकि वह वर्तमान में विवादित भूमि के भूमिस्वामी हैं। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.04.1985 द्वारा शासकीय भूमि मद घास की राजू बल्द सूरज को पट्टे पर दी गयी थी। और उसका नाम भूमि स्वामी हक में पट्टे के अनुसार दर्ज किया गया था। उक्त आवंटन के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण नही किया गया है अतः उक्त आदेश अपने स्थान पर अंकित हो गया है। ऐसे अंतिम आदेश को शिकायत के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 185/बी–121/ 1993–94 न्यायालय नायब तहसीलदार के उक्त कण्डिका 2 में पुर्नविलोकन लेने की अनुमति दी जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जबलपुर को भेजे जाने का उल्लेख कलेक्टर, जबलपुर की दायरा पंजी वर्ष 1993–94 अंकित है, तदोपरांत वर्तमान में प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से यह ज्ञात होता है कि न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर ने मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत स्वमेव निगरानी में प्रकरण को अधिक समय बाद लिया है। जबकि न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 392 उच्च.न्याया., 2010 आर.एन.273 उच्च न्याया., 2011 आर.एन.426, 2010 आर.एन.409 पूर्ण पीठ में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग–आदेश की अवैधता,

अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए – 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो आदेश कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 अपास्त किया जाकर तहसीलदार पनागर को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदिका का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें, तदनुसार यह वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

ग्वालियर